संख्या-343/2024/1886/22-2-2023-17(532)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 दिसम्बर, 2024

विषय:- जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नारायन पुत्र श्री महेश गुर्जर, निवासी जनपद-मथुरा की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-16904/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/-सीमित सजा/एम0-01.05.2023 दिनांक-22.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नारायन पुत्र श्री महेश गुर्जर, ग्राम-शिवाल, थाना-बरसाना, जनपद-मथुरा का निवासी है। दिनांक 05.05.2014 को अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गला दबाकर अपनी पत्नी श्रीमती कविता की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-859/2014 में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए, 323 व 4 डी0पी0 एक्ट में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (महिलाओं के विरूद्ध अपराध सम्बन्धी न्यायालय) एफ0टी0सी0 प्रथम, मथुरा द्वारा दिनांक 28.01.2020 को 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 07.04.2023 तक 08 वर्ष, 08 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष, 09 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 27.02.2021 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, वादी मुकदमा व उनके परिवार के सदस्यों में काफी आक्रोश होने व बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 05.05.2014 को अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गला दबाकर अपनी पत्नी श्रीमती कविता की हत्या कारित की गयी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बंदी नारायन पुत्र श्री महेश गुर्जर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नारायन (बन्दी संख्या-47/2020) पुत्र श्री महेश गुर्जर, निवासी जनपद-मथुरा को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-343/2024/1886(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-343/2024/1886/22-2-2023-17(532)/2023

दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नारायन पुत्र श्री महेश गुर्जर, ग्राम-शिवाल, थाना-बरसाना, जनपद-मथुरा का निवासी है। दिनांक 05.05.2014 को अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गला दबाकर अपनी पत्नी श्रीमती कविता की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-859/2014 में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए, 323 व 4 डी0पी0 एक्ट में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (महिलाओं के विरूद्ध अपराध सम्बन्धी न्यायालय) एफ0टी0सी0 प्रथम, मथुरा द्वारा दिनांक 28.01.2020 को 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 07.04.2023 तक 08 वर्ष, 08 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष, 09 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 27.02.2021 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, वादी मुकदमा व उनके परिवार के सदस्यों में काफी आक्रोश होने व बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 05.05.2014 को अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गला दबाकर अपनी पत्नी श्रीमती कविता की हत्या कारित की गयी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बंदी नारायन पुत्र श्री महेश गुर्जर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।